भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3820

16 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

विषय : बीज परीक्षण केन्द्र

3820. श्री विनायक भाऊराव राऊतः

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः

श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में बीज परीक्षण केन्द्रों का विस्तार करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या बीजों की किस्मों के आंकलन और शोधन में लगने वाले समय में कटौती करने के लिए पीपीपी पद्धति में बीज परीक्षण केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या विशेषकर बीजों को निर्यात/आयात के लिए 'फाइटोसैनिटेरी' प्रमाण पत्र की आवश्यकता है; और

(च) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में कम से कम ऐसे एक प्रमाणन केन्द्र को स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क से घ) : जी, नहीं। बीज की उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए देश भर में इस समय 130 अधिसूचित बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं कार्य कर रही हैं। मंत्रालय किसानों को और अधिक बीज परीक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है। वर्तमान में, सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) मोड में बीज परीक्षण केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ड़ एवं च): जी, हां।

आयात के लिए- पौध संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 के अनुसार, 06 क्षेत्रीय पौध संगरोध स्टेशनों अर्थात्- नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अमृतसर तथा बंगलौर के माध्यम से प्रचार के उद्देश्य के लिए बीज आयात की अनुमति है।

निर्यात के लिए- निर्यात मे पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए, कुल 198 पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारियों को अधिसूचित किया गया है जिसमें 68 पौध संगरोध स्टेशन, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर)/राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एसएयू) तथा राज्य के कृषि/बागवानी विभाग के 130 अधिकारी शामिल हैं। सभी राज्यों के लिए पीएससी जारी करने वाले प्राधिकारियों को अधिसूचित किया जाता है।

*****